न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, RAS

प्रकरण संख्या : 01/2020 (अपील)

GCMS No. : 2020/00065

अपीलांट		रेस्पोडेंट
मैसर्स यलो स्टोन होस्पीटलीटी LLP प्लाट नं. A 317/A डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद नगर बडा राजदूत, गोपालपुरा बाईपास जयपुर जरिये पार्टनर 1. नवीन सिंघल पुत्र श्री सुभाष चन्द्र जाति अग्रवाल निवासी गोपालपुरा बाईपास लाल कोठी, जयपुर, राजस्थान 2. सोम प्रकाश पुत्र श्री राम स्वरूप जाति अग्रवाल निवासी 28 बी सेंट्रल कॉलोनी फेस मुरलीपुरा, जयपुर, राजस्थान	बनाम	1. ग्राम पचायत, सम पंचायत समिति, सम 2. तहसीलदार, जैसलमेर

उपस्थित :–

1. श्री मुरलीधर जोशी , अधिवक्ता अपीलान्ट्स
2. रेस्पोडेंट संख्या 1 अनुपस्थित
3. रेस्पाडेंट 2 उपस्थित

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत सम , बाबत नामान्तरण संख्या 51 दिनांक 27.08.2019

निर्णय

दिनांक :– 03.03.2021

1. अपीलाण्ट् द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अपील ग्राम पंचायत सम के आदेश दिनांक 27.08.2019 के द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 51 के विरूद्व मय मय धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गयी । अपील के संक्षित तथ्य इस निम्न प्रकार से है कि अपीलांट ने ग्राम सम के खसरा नं. 80/931 रकबा 1.6180 हैक्टेयर किस्म बारानी विक्रेतागण उगन सिह पुत्र लाल सिह निवासी चांदरोई तहसील आहोर जिला जालोर, भंवरसिंह पुत्र छोगसिंह निवासी ब्राहमणों का वास कंवला तहसील आहोर जिला जालोर व राजेन्द्र सिंह पुत्र भेरूदान निवासी नाहरों की सेरी गंगावा तहसील आहोर जिला आहोर से पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये दिनांक 1.7.2019 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तब से उक्त भूमि पर वे भौतिक रूप से काबिज है। उक्त विक्रय विलेख के आधार पर पटवारी हलका ने नामान्तरण संख्या 51 दिनांक 27.8.2019 दर्ज कर सरपंच ग्राम पंचायत, सम को प्रस्तुत किया जिन्होंने उसे स्वीकार कर दिया। अपील में आगे कथन किया गया है कि प्रश्नगत नामान्तरण मे फर्म का नाम सेवन से छोड़कर मात्र अपीलांट पार्टनर के नाम भरा गया है। अपील में प्रस्तुत किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पंजीकृत दस्तावेज के विरूद्ध होने से काबिल संशोधन है। अपीलाधीन नामान्तरण पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर भरना बताया गया है परन्तु नामान्तरण में मात्र पार्टनर के नाम लिखे गये है, फर्म का नाम शेष से रह गया है। आगे कथन किया गया है कि नामान्तरण फर्म मैसर्स यलो स्टोन हॉस्पीटलीटी, जयपुर जरिये

पार्टनर के भरा जाना था जबकि पार्टनर के नाम लिख दिये परन्तु फर्म का नाम शेष से रह गया। फर्म स्थायी रहती है जबकि पार्टनर बदलते रहते है। वर्तमान में अपीलांट के अलावा भी 4 अन्य पार्टनर है जिनका विवरण अपील में उल्लेखित किया गया है। अपील में प्रश्नगत भूमि का नामान्तरण फर्म मैसर्स यलो स्टोन हॉस्पीटलीटी LLP प्लॉट नम्बर ए 317/ए डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद नगर बड़ा राजदूत गोपाल पुरा बाईपास जयपुर के नाम पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार भरे जाने का अनुतोष प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2. अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि हाल ही में बैंक में कागजात प्रस्तुत करने पर बैंक की ओर से आपत्ति जाहिर करने पर इसकी जानकारी होने पर दिनांक 29.5.2020 को दस्तावेजों की नकले लेकर अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील में कारित विलम्ब को क्षम्य किया जाकर प्रस्तुत अपील समयावधि में शुमार की जाये।
3. अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को तलब जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजमल रैगर, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, सम की ओर से प्रस्तुत जवाब दिनांक 29.07.2020 प्रस्तुत किया जाकर कथन किया गया है कि पूर्व में भरा गया नामान्तरण सही नहीं है। इसके स्थान पर फर्म के नाम से इसे भरा जाये जिसके लिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, सम की अध्यक्षता में आयोजित आम सभा में पारित प्रस्ताव की छायाप्रति संलग्न प्रस्तुत की गई है।
4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट् को सुना गया। उन्होंने अपनी बहस में अपील में प्रस्तुत कथनों को दोहराते हुए अपीलाधीन नामान्तरण अपास्त कर प्रश्नगत भूमि का नामान्तरण पंजीकृत विक्रय विलेख के अनुसार फर्म के नाम भरा जाकर स्वीकार कराने का अनुरोध किया।
5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट् की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। नामान्तकरण संख्या 51 दिनांक 27.08.2019 को ग्राम पंचायत सम द्वारा पारित किया गया है । अपीलाण्ट् द्वारा अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है । अपीलाण्ट् द्वारा जानकारी में आते ही उक्त अपील अन्दर म्याद न्यायालय में प्रस्तुत करना बताया है । अतः अपीलाण्ट् की अपील जानकारी से अन्दर म्याद होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाता है ।
6. हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। नामान्तकरण संख्या 51 दिनांक 27.08.2019 को ग्राम पंचायत सम द्वारा पारित किया गया है । अपीलाधीन नामान्तरण का सम्बन्धित पंजीकृत विक्रय विलेख के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। पंजीकृत विक्रय विलेख में क्रेतागण का नाम YELLOW STONE HOSPITALITY LLP जरिये पार्टनर 1. श्री सोनप्रकाश पुत्र श्री रामस्वरूप एवं 2. श्री नवीन सिंघल पुत्र श्री सुभाष चन्द्र का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है । नामान्तकरण का अवलोकन से उक्त नामान्तकरण में केवल पार्टनर के नामों का ही अंकन किया हुआ है । अतः उक्त प्रकार से पंजीकृत विक्रय विलेख के अनुसार नामान्तकरण का भरा जाना नहीं पाया जाता है ।
7. अतः अपीलाण्ट् अपील आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सम के द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 51 दिनांक 27.08.2019 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार जैसलमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर प्रकरण का पुनः परीक्षण कर नए सिरे से सही नामांतरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही 01 माह में पूर्ण की जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/3/21

(रमेश चन्द्र पुनड़िया)
उपखण्ड अधिकारी
जैसलमेर